

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017


क्रमांक एफ 1-67/2017/सत्रह/एक ::: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र.	आवेदक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	श्री लोकेश कुमार साहू	भृत्य/वार्ड ब्वाय	पी.एच.सी.कोहकामेटा जिला नारायणपुर	प्राथ.स्वा.केन्द्र आमदी जिला धमतरी	स्वयं के व्यय
2	श्री आशा राम नेताम	भृत्य/वार्ड ब्वाय	प्राथ.स्वा.केन्द्र केशरपाल जिला बस्तर	प्राथ. स्वा. केन्द्र चिपावंड जिला कोंडागांव	स्वयं के व्यय
3	श्री जितेन्द्र कुमार निर्मलकर	ओ.टी. अटेंडेंट	सामु. स्वा. केन्द्र गुण्डरदेही जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र पाटन जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
4	श्री शंभू यादव	चौकीदार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर	आपसी स्थानान्तरण
5	श्री नवनीन पटेल	चौकीदार	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा	
6	श्री कुष्णाराम साहू	वार्ड ब्वाय	मिनी माता बांगो बांध चिकित्सालय माचा डोली कोरबा, जिला कोरबा	प्रा.स्वा.केन्द्र मरका जिला बेमेतरा	प्रशासनिक
7	श्री तोरन सिंह वर्मा	वार्ड ब्वाय	सामु.स्वा.केन्द्र तुमगांव जिला महासमुन्द	सामु.स्वा.केन्द्र पथरिया, जिला मुंगेली	स्वयं के व्यय
8	कु. गुमेश्वरी मरकाम	आया	प्राथ.स्वा.केन्द्र खल्लारी जिला बलौदाबाजार	प्रा.स्वा.केन्द्र पाटसिवनी जिला गरियाबंद	स्वयं के व्यय
9	श्रीमती कुसुम बघेल	आया	प्राथ. स्वा. केन्द्र माहुद बी गुडरदेही जिला बालोद	जिला अस्पताल दुर्ग	स्वयं के व्यय
10	श्री मोहेन्द्र कुमार जनार्दन	वार्ड ब्वाय	किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय रायगढ़	प्राथ.स्वा.केन्द्र चाकाबुड़ा जिला कोरबा	स्वयं के व्यय
11	श्री प्रकाश सिंह, राजपुत	वार्ड ब्वाय	सीएचसी अहिवारा दुर्ग	पीएचसी राम्हेपुर जिला मुंगेली	प्रशासनिक
12	श्री खिलेश्वर मसिया	भृत्य/वार्ड ब्वाय	पीएचसी खोभा, वि.ख. छुरिया जिला राजनांदगांव	प्राथ. स्वा. केन्द्र खुज्जी जिला राजनांदगांव	प्रशासनिक
13	मोनिका ठाकुर	आया	जिला महासमुन्द	पीएचसी मानिकचौरी जिला कबीरधाम	प्रशासनिक

WJ

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1- 67/2017/सत्रह/एक
प्रतिलिपि :-


नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग